

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

नोट : मूल परिचय-पत्र देखने के बाद ही आवेदन पंजीबद्ध किया जावे परिशिष्ट - चार
नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत

आवेदन सह आदेश-पत्र

1. माता/पिता का पंजीयन क्रमांक
2. छात्र-छात्रा का नाम
3. पिता/माता का नाम
4. पत्र व्यवहार हेतु पूरा पता
5. उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण
- (1) संस्था का नाम
- (2) परीक्षा का नाम
- (3) परीक्षा परिणाम प्राप्तांक.....पूर्णांक.....प्रतिशत
6. घोषणा : मैं सत्यनिष्ठा से वचन करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। असत्य पाये जाने की दशा में राशि वापस करने का वचन देता हूं। उपरोक्त के लिए मुझे किसी अन्य विभाग से सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

छात्र-छात्रा के हस्ताक्षर

आदेश

जांचोपरान्त उपरोक्त विवरण सही पाए जाने/सही न पाए जाने के कारण आवेदन स्वीकृति/अस्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति की दशा में योजना का नामके अंतर्गत निम्नानुसार राशि रूपये चेक क्रमांक दिनांक बैंक का नाम शाखा का नाम द्वारा श्री..... को भुगतान किया गया।

स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान :

दिनांक :

पावती

राशि रूपये चेक क्रमांक.....

दिनांक प्राप्त किए गए।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पता

स्वीकृतकर्ता अधिकारी कृपया ध्यान दें :-

1. परिचय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायें। मूल परिचय-पत्र देखकर लौटा दिया जाना चाहिए तथा परिचय पत्र में छायाप्रति की मांग नहीं की जानी चाहिए। आवेदक द्वारा दर्शाए विवरण की स्थल जांच कर पुष्टि हो जाने के पश्चात् ही सहायता राशि स्वीकृत की जाए।